"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03.'

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च 2007—फाल्गुन 18, शक 1928

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 9 मार्च, 2007 (फाल्गुन 18, 1928)

क्रमांक-3526/विधान/2007.— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2007 (क्रमांक 2 सन् 2007) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 2 सन् 2007)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2007

वित्तीय वर्ष 2007-2008 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अन्ठावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) अधिनियम, 2007 है.

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिये राज्य की संचित निधि में से 16473,53,74,000 रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2007 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए सोलह हजार चार सौ तिहत्तर करोड़, तिरपन लाख, चौहत्तर हजार रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बाबत् वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान दिये जाने होंगे और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से निकाली जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक (1)	सेवाएं और प्रयोजन (2)		निम्नलिखित से अनधिक राशियां (3)		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा.	राजस्व	0	12,98,63,42,000	12,98,63,42,000
	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	0	6,22,02,76,000	6,22,02,76,000
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	49,26,74,000	8,17,50,000	57,44,24,000
		पूंजी	15,00,000	0	15,00,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	4,15,53,000	0	4,15,53,000
03	पुलिस	राजस्व	5,61,91,83,000	22,00,000	5,62,13,83,000
		पूंजी	1,00,10,000	0	1,00,10,000
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	14,45,31,000	0	14,45,31,000
		पूंजी	36,35,000	0	36,35,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
05	जेल	राजस्व	27,65,60,000	10,000	27,65,70,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	10,98,80,26,000	15,71,000	10,98,95,97,000
		पूंजी	1,21,43,000	0	1,21,43,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	70,20,92,000	22,03,26,000	92,24,18,000
		पूंजी	50,00,000	0	50,00,000
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	2,06,80,01,000	5,45,000	2,06,85,46,000
		पूंजी	3,89,40,000	0	3,89,40,000
09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	7,26,24,000	10,000	7,26,34,000
		पूंजी	60,00,000	0	60,00,000
10	वन	राजस्व	3,47,72,13,000	15,15,00,000	3,62,87,13,000
		पूंजी	15,53,00,000	0	15,53,00,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	29,53,62,000	25,000	29,53,87,000
		पूंजी	97,80,00,000	15,00,000	97,95,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,38,33,02,000	1,20,75,00,000	2,59,08,02,000
		पूंजी	5,02,50,000	0	5,02,50,000
13	कृषि	राजस्व	1,40,25,36,000	2,75,000	1,40,28,11,000
		पूंजी	44,37,000	0	44,37,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	79,89,60,000	10,000	79,89,70,000
15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	26,26,30,000	0	26, 26,30,000
		पूंजी	15,19,00,000	0	15,19,00,000
16	मछली पालन	राजस्व	8,42,56,000	20,000	8,42,76,000
		पूंजी	10,000	0	10,000
17	सहकारिता	राजस्व	30,78,86,000	0	30,78,86,000
		पूंजी	32,78,84,000	0	32,78,84,000
18	श्रम	राजस्व	12,57,00,000	20,000	12,57,20,000
		पूंजी	3,17,50,000	0	3,17,50,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	3,44,93,15,000	13,74,000	3,45,06,89,000
		पूंजी	18,74,95,000	0	18,74,95,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
20.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	2,01,38,13,000	6,00,000	2,01,44,13,000
		पूंजी	36,47,15,000	0	36,47,15,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	14,55,75,000	0	14,55,75,000
		पूंजी	96,53,00,000	0	96,53,00,000
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय.	राजस्व	1,40,57,000	0	1,40,57,000
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	1,01,24,39,000	1,10,000	1,01,25,49,000
		पूंजी	2,58,01,68,000	30,00,000	2,58,31,68,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	2,54,01,10,000	70,00,000	2,54,71,10,000
		पूंजी	3,54,24,41,000	5,00,000	3,54,29,41,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	54,40,82,000	50,000	54,41,32,000
		पूंजी	10,00,00,000	0	10,00,00,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	8,87,19,000	0	8,87,19,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	8,99,76,10,000	3,20,000	8,99,79,30,000
		पूंजी	7,42,00,000	0	7,42,00,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	14,68,98,000	42,90,000	15,11,88,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	65,87,41,000	11,91,97,000	77,79,38,000
		पूंजी	10,16,42,000	0	10,16,42,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	2,19,68,28,000	1,03,000	2,19,69,31,000
		पूंजी	1,55,00,000	0	1,55,00,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	6,79,60,000	0	6,79,60,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	20,52,59,000	10,000	20,52,69,000
		पूंजी	2,00,000	0	2,00,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	4,50,05,25,000	1,00,000	4,50,06,25,000
34	समाज कल्याण	राजस्व	16,84,93,000	40,000	16,85,33,000
		पूंजी	1,41,26,000	0	1,41,26,000
35	पुनर्वास	राजस्व	1,24,08,000	10,000	1,24,18,000
		पूंजी	2,00,000	0	2,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
36	परिवहन	राजस्व	16,09,37,000	5,000	16,09,42,000
		पूंजी	10,00,00,000	0	10,00,00,000
37	पर्यटन	राजस्व	20,00,00,000	0	20,00,00,000
		पूंजी	22,15,00,000	0	22,15,00,000
38	बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	1,41,10,83,000	0	1,41,10,83,000
		पूंजी	1,19,00,80,000	0	1,19,00,80,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,25,61,96,000	10,000	1,25,62,06,000
		पूंजी	84,00,20,000	0	84,00,20,000
40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,08,38,000	20,000	3,08,58,000
		पूंजी	38,88,00,000	0	38,88,00,000
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	12,17,58,05,000	10,000	12,17,58,15,000
		पूंजी	6,34,86,53,000	10,00,000	6,34,96,53,000
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	4,16,47,85,000	18,00,000	4,16,65,85,000
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	6,31,91,000	10,000	6,32,01,000
		पूंजी	15,00,00,000	0	15,00,00,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	1,53,08,67,000	65,000	1,53,09,32,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	22,65,34,000	0	22,65,34,000
		पूंजी	1,80,79,76,000	0	1,80,79,76,000
46	विज्ञान और टेक्नालाजी	राजस्व	7,67,00,000	0	7,67,00,000
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	72,51,96,000	20,000	72,52,16,000
		पूंजी	20,79,00,000	0	20,79,00,000
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	28,66,37,000	0	28,66,37,000
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,53,42,000	0	1,53,42,000
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	1,59,45,000	0	1,59,45,000
53	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	13,20,16,000	0	13,20,16,000
		पूंजी	15,00,00,000	0	15,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय.	राजस्व	21,25,00,000	0	21,25,00,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	2,27,82,76,000	0	2,27,82,76,000
		पूंजी	8,91,25,000	0	8,91,25,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	26,42,74,000	10,000	26,42,84,000
		पूंजी	2,35,50,000	0	2,35,50,000
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें.	पूंजी	38,62,32,000	0	38,62,32,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	3,46,56,24,000	10,00,000	3,46,66,24,000
		पूंजी	5,00,000	0	5,00,000
59	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व	1,60,05,00,000	0	1,60,05,00,000
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी	27,98,00,000	0	27,98,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	3,95,87,80,000	10,000	3,95,87,90,000
		पूंजी	3,78,65,38,000	0	3,78,65,38,000
65	विमानन विभाग	राजस्व	9,97,65,000	10,000	9,97,75,000
		पूंजी	27,50,00,000	0	27,50,00,000
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	33,24,51,000	0	33,24,51,000
		पूंजी	55,00,000	0	55,00,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	1,45,06,57,000	10,00,000	1,45,16,57,000
		पूंजी	1,91,84,22,000	0	1,91,84,22,000
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	राजस्व	2,00,000	0	2,00,000
		पूंजी	89,57,73,000	0	89,57,73,000
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व	3,34,51,67,000	0	3,34,51,67,000
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	राजस्व	17,86,00,000	0	17,86,00,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	82,50,00,000	0	82,50,00,000
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	3,25,00,00,000	0	3,25,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
77	बिलासपुर संभाग में आदिवासी क्षेत्रों का विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व	10,00,00,000	0	10,00,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,09,90,30,000	4,20,000	1,09,94,50,000
		पूंजी	33,99,00,000	0	33,99,00,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	6,16,51,69,000	0	6,16,51,69,000
		पूंजी	57,39,50,000	0	57,39,50,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	5,05,73,07,000	4,40,00,000	5,10,13,07,000
		पूंजी	15,00,00,000	0	15,00,00,000
82	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	1,77,00,58,000	0	1,77,00,58,000
		पूंजी	49,07,00,000	0	49,07,00,000
83	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	राजस्व	10,13,84,000	0	10,13,84,000
		योग - राजस्व	**1,05,09,29,50,000**	**14,83,18,98,000**	**1,19,92,48,48,000**
		योग - पूंजी	**38,58,24,50,000**	**6,22,80,76,000**	**44,81,05,26,000**
		वृहद योग	**1,43,67,54,00,000**	**21,05,99,74,000**	**1,64,73,53,74,000**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अग्रिम अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख 22 फरवरी, 2007

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

asible, [illegible]